न्यायालय : मुंसिफ प्रथम , मधुबनी
T.S.-06/2021
CIS- 118/2021

Date		Remarks
28-08-2023	उभय पक्ष वकालतन उपस्थित। वादी के आवेदन दिनांक- 28-08-2023 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात अभिलेख आज आदेश हेतु निश्चित है। अभिलेख उपस्थापित किया गया। वादी कि ओर से आवेदन इस आशय का दिया गया है कि उपरोक्त वाद में वादी की ओर से समयवेदन दिया जा रहा था। वादी के सख्त बीमार हो जाने के कारण दिनांक 17-08-2023 को वादी का समयावेदन अस्वीकृत करते हुए वादी का साक्ष्य बंद कर दिया गया। वादी की ओर से जानबूझ कर कोई गलती नहीं की गयी। वादी का साक्ष्य बंद होने से वादी को काफी क्षति होगी। अतः वादी दिनांक 17-08-2023 के आदेश को रिकॉल करते हुए वादी को साक्ष्य का अवसर देने हेतु निवेदन करते है। प्रतिवादी की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया और आवेदन का मौखिक रूप से विरोध करते है। उभय पक्षों को पूर्व में सुना जा चूका है। आवेदन एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि वादी को बार-बार न्यायालय द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किये जाने के बाबजूद वादी के द्वारा कई तिथियों से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण दिनांक 17-08-2023 को वादी का साक्ष्य बंद कर दिया गया था। वादी का कहना है की बीमार हो जाने के कारण वे साक्ष्य नहीं दे पाए। उनके द्वारा जानबूझ कर कोई सुस्ती या लापरवाही नहीं की गयी। प्रतिवादी विरोध करते है। वादी को अपने वाद को प्रमाणित करने हेतु उनका साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः वादी का आवेदन दिनांक 28-08-2023 को मो०-300/- रु० के खर्च पर स्वीकृत करते हुए दिनांक 17-08-2023 के आदेश को रिकॉल किया जाता है। खर्च की राशि प्रतिवादी को देय है। वादी अगली नियत तिथि पर साक्ष्य प्रस्तुत करें। दिनांक 18-09-2023 वास्ते वादी की ओर से साक्ष्य हेतु। **लेखापित** ह **o**/- मुंसिफ प्रथम	